शिकायत समिति : यौन शोषण के खिलाफ कानून

कार्यस्थलों पर काम करने वाले लोगों पर हो रहे यौन शोषण के खिलाफ आईसीसी यानि कि आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। घर से बाहर निकलते ही हमारी महिला साथी की हमें फिक्र शुरू हो जाती है। थोड़ी सी भी देरी होने पर मन बेचैन हो जाता है और प्रार्थना करने लगता है कि वह सही सलामत घर पहुंच जाए। कई बार यहां तक मन में आता है- क्या लड़की होना कोई अपराध है? आखिर क्यों लड़कियों को बाहर मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। जगह-जगह पोस्टर लगने से "लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ" से क्या वास्तव में स्थिति बदलेगी। लड़कियां यदि पढ़ना शुरू करेंगी तो बाहर भी जायेंगी, नौकरियां भी करेंगी, ऐसे में कौन इसकी गारंटी लेगा कि वे बाहर सुरक्षित भी रहें। ऐसे ही और भी अनेक पोस्टर रोज चलते-फिरते टकराते हैं। किसी भी सभ्यता या संस्कृति का मूल्यांकन करना हो, तो उस समाज में नारी की स्थिति देखकर आप पता लगा सकते हैं असल सूरत क्या है। दिल्ली या देश के किसी भी अखबार को खोलकर देखने पर रेप की कोई न कोई खबर जरूर मिलेगी। ये घटनाएं इतनी अधिक संख्या में हैं कि उन्हें अकसर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जगह तक नहीं मिलती। शायद ही कोई महिला इससे अछूती हो जिसके जीवन में यौन शोषण की घटना न घटी हो। यह शोषण केवल युवा युवतियों के साथ ही नहीं होता, बल्कि बच्चियों और यहां तक ही बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी घटती है। इससे शर्म की बात भला क्या हो सकती है। अपने खिलाफ हो रहे इस यौन उत्पीड़न के खिलाफ चंद महिलाएं ही आवाज उठा पाती हैं। ज्यादा की आवाजें तो उनके साथ ही दफन हो जाती हैं। हाल के समय में यौन उत्पीड़न सबसे विकट समस्या बनी हुई है। महिला ही नहीं पुरूष भी इसका शिकार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यह आज की समस्या हो, हां संख्या में बढ़ोत्तरी जरूर नयी बात है। किसी न किसी रूप में इसने हमेशा से हमारे समाज को जकड़ कर रखा हुआ था। किसी भी स्त्री या पुरूष से उसकी इच्छा के विपरीत यौन संबंध बनाना या संबंध बनाने के लिए विवश करना, संबंध बनाने के लिए प्रलोभन देना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। एक बार यौन शोषण का शिकार होने के उपरांत इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है। यौन उत्पीड़न सुनते ही दिमाग में जो बात आती है, वह है एक पुरूष का एक स्त्री को हथियाना। परन्तु यौन उत्पीड़न एक पुरूष का एक महिला का शारीरिक शोषण ही नहीं है। एक महिला या पुरूष को जब कोई घटना असहज बना दें, कामुकता हावी होने लगे तभी से वह यौन शोषण की श्रेणी में शामिल हो जाता है। कानून के अनुसार वह हर घटना यौन शोषण के दायरे में आयेगी जो 'यौन प्रकृति के मौखिक बयानों के लिए यौन अतिशय का अनुरोध करती हो।' कानून में यह शिक्षा कोड के शीर्षक ९ के अलावा १९६४ में 'सिविल अधिकार अधिनियम की शीर्षक *VII*' का उल्लंघन करती है।

१९९७ से २०13 तक विशाखा गाइडलाइन (१९७७, ६*scc* २४१) के अनुसार कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को देखा जाता था। २०13 में एक नया एक्ट आया 'सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट'। इसके अनुसार यौन शोषण से सम्बंधित मामलों पर विशाखा गाइडलाइन के अनुसार ही विचार एवं

उनका निराकरण किया जायेगा। साथ ही इसमें जो नया तथ्य शामिल हुआ- वह था समता, यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्यस्थल बनाने का प्रावधान। इसके तहत सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की कार्यवाही शामिल की गयी। साथ ही आंतरिक शिकायत समिति के गठन का प्रावधान भी इसमें किया गया। यह समिति आज कार्यस्थल पर होने वाले तमाम शोषणों पर ठोस कदम उठाती है ताकि प्रत्येक कर्मचारी को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराया जा सके। एक और बात ध्यान देने वाली है कि आंतरिक शिकायत समिति को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। कार्यवाही करने का अधिकार केवल नियोजक को दिया गया है। जो कुछ हद तक हतोत्साहित भी करता है।

क्या है विशाखा गाइडलाइन? कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो १९९७ में कानून बना वह विशाखा गाइडलाइन (१९७७,६sc२४१) के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने इससे संबंधित जो दिशानिर्देश दिए वह 'विशाखा गाइडलाइन' में इंगित है। १३ अगस्त १९९७ को सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न संबंधी विषयों पर एक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया। यौन उत्पीड़न मानव अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हर महिला का अधिकार है कि उसे अपने कार्यस्थल पर बेहतर से बेहतर माहौल मिल सके ताकि वह अपने कार्य को पूरी ऊर्जा से कर सके। महिला ही क्यों सभी को सकारात्मक माहौल मिलना चाहिए। अदालत ने सभी को निर्देश दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए आईसीसी का गठन करना अनिवार्य है। इसके बाद इस कानून में समय समय पर संशोधन भी होते रहे हैं। इसके उपरांत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम-२०१३ पारित हुआ। इसमें आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की हर औपचारिक और लिखित शिकायतों की जांच करने और यौन उत्पीड़न के अपराध जो सिद्ध हो चुके हों, के लिए उपचारात्मक कदम उठाने के लिए सक्षम और जिम्मेदार होगी। यह समिति अधिनियम की धारा ११ के प्रावधानों के अनुसार शिकायतों की जांच करेगी और इसके लंबित होने के दौरान अधिनियम २०१३ की धारा १२ के अधीन सक्षम पदाधिकारी इस पर उचित कार्यवाही करेंगे।

संस्थान की नीतियां - सभी कार्यस्थल यौन उत्पीडन से मुक्त और भयरहित माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 'ऐसा कोई भी आचरण जो यौन उत्पीड़न को बढ़ावा देता हो' को यह समिति नियंत्रित करती है। सभी शैक्षिक और कार्यस्थलों से जुड़े लोगों को यह समिति निर्देश देती है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित सभी मामलों की रिपोर्ट यथाशीघ्र करें। साथ ही समिति शिकायतकर्ता को यह आश्वासन देती है कि वह उसके नाम को गोपनीय रखेंगी ताकि उसे किसी भी तरह से आगे काम करने में समस्या का सामना न करना पड़े। बिना शिकायतकर्ता की इजाजत के मामले को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। जिसके कारण महिलाएं निडर होकर बाहर पढ़ने और कार्य करने के लिए निकल सकें। महिलाओं के भीतर खत्म हो रहे डर का थोड़ा सा श्रेय आंतरिक शिकायत समिति को भी जाता है। हर दफ्तर या शैक्षिक संस्थान में जहां १० से अधिक लोग कार्य करते हों, वहाँ इस समिति का होना अनिवार्य शर्त है, साथ ही यह भी कि इस समिति की अध्यक्ष महिला ही हो सकती है।

आंतरिक शिकायत समिति के गठन की जरूरी शर्तें :

१. सभी सदस्यों में से ५० प्रतिशत से ज्यादा महिला सदस्य शामिल हो। २. प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल ३ वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

आंतरिक शिकायत समिति के कार्य और अधिकार :

१. लिखित में शिकायत कराने के लिए सभी कानूनी सलाह प्रदान करना।

२. शिकायत करने के तीन महीने के भीतर उस पर जांच करना।

३. जांच शुरू होने से पूर्व यदि सुलह की गुंजाइश बचती है तो उसका भी प्रयास करना लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई कानून से इतर समझौता नहीं हो।

४. जांच के दौरान समिति के पास वह सभी शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन किसी सिविल न्यायालय के पास होती हैं।

५. नब्बे दिन के भीतर जांच को पूरा करना।

६. जांच के दौरान महिला के लिखित अनुरोध पर उसे तीन मास का स्थानान्तरण या अवकाश उपलब्ध कराना।

७. जांच में यदि यह सिद्ध हो जाये कि प्रत्यर्थी गलत है तो नियम के अनुसार उसपर जांच करने, उसके वेतन में कटौती करके व्यथित महिला को दिए जाने की शिफारिश करना।

८. इस दौरान यदि यह साबित हो जाता है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध गलत आरोप लगाया गया है तो ऐसे में उस व्यथित के विरूद्ध सेवा नियमों के अनुसार सिफारिश कर सकती है।

आंतरिक शिकायत समिति में शामिल सदस्यों से संबंधित शर्तें :

१. एक पीठासीन महिला अधिकारी जो कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों में सबसे ज्येष्ठ स्तर पर होगी।

२. अन्य दो सदस्य जिन्हें सामाजिक कार्यों का अनुभव हो और महिला विषयों से संबंधित समस्याओं को समझते हों।

३. एक सदस्य गैर सरकारी संगठनों में से शामिल होगा जो महिला से संबंधित समस्याओं के प्रति सजग होगा साथ ही उसे लैंगिक उत्पीड़न सम्बंधी विषयों की सम्पूर्ण जानकारी होगी।

आंतरिक शिकायत समिति स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर कार्य करती है ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों को बेहतर वातावरण दिया जा सके। आईसीसी का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण मिल सके और लैंगिक भेदभाव संबंधित शिकायतों का तत्काल निवारण किया जा सके। नीचे विशाखा और आंतरिक शिकायत समिति से जुड़े कुछ अन्य मामलों को देखते हैं -

विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य

यह केस काफी सुर्खियों में रहा था जिसे आज भी लोग जानते हैं। राजस्थान के नातेरी गांव में रहने वाली सामाजिक कार्यकर्त्री भंवरी देवी इस पूरे मामले के केंद्र में रही थी। ये राज्य सरकार की महिला विकास कार्यक्रम के तहत कार्य कर रही थीं। बाल-विवाह को रोकते समय इन पर उपद्रवियों ने गैंगरेप किया। इन उपद्रवियों में कुछ रसूल वाले और बड़े पद पर काम करने वाले लोग भी शामिल थे। न्याय पाने के लिए भंवरी देवी ने कोर्ट में अर्जी दी।

लेकिन सेशन कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया क्योंकि किसी ने भंवरी देवी का साथ नहीं दिया। पंचायत, पुलिस, गांववालों सभी ने भंवरी देवी की बात को खारिज कर दिया। भंवरी देवी के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ बहुत से गैर सरकारी संगठनों ने उनका साथ दिया और सभी ने मिलकर १९९७ में 'विशाखा' नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसे 'विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार' के नाम से जाना जाता है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न संविधान में निहित मौलिक अधिकारों १४, १५ और २१ का उल्लंघन करता है। इसके अलावा यह स्वतंत्रता के अधिकार १९,१ जी' का भी उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका में भंवरी देवी के साथ कार्यस्थल पर घटित घटना महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की कामना की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न को कुछ इस तरह परिभाषित किया - गलत इशारे करना, गलत टिप्पणी आदि देना, शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश करना इत्यादि यौन उत्पीड़न में शामिल हैं। इस निर्णय से पहले महिलाएं इस तरह की शिकायत आईपीसी की धारा ३५४ और ५०९ के तहत दर्ज कराती थीं। विशाखा गाइडलाइन में कार्यस्थल के मालिक से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी महिला वहां खुद को बंधक महसूस न करें। कोई उसे धमकाने की हिम्मत न कर सके।

ए) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम ए. के. चोपड़ा

विशाखा के बाद पहला मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, वह था 'परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् बनाम ए. के. चोपड़ा मामला। इस मामले में कोर्ट ने विशाखा जजमेंट को दोहराया। जिसमें दिल्ली स्थित परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् के एक वरिष्ठ अधिकारी की बर्खास्तगी की गयी। यह व्यक्ति कार्यस्थल पर एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया था। इसमें एक नयी बात यह रखी गयी कि केवल शारीरिक उत्पीड़न ही यौन उत्पीड़न नहीं है, अपितु अन्य मौखिक या शारीरिक संबंध के लिए अनुरोध भी इसमें शामिल होगा।

बी) मेधा व अन्य बनाम वि. संघ और भारत संघ

आलोकाना (एनजीओ) के डॉ. मेधा कोटवाल द्वारा लिखे एक पत्र ने उस संख्या पर प्रकाश डाला जो विशाखा गाइडलाइन को सही ढंग से लागू नहीं कर रहे हैं। इसे सही ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइन द्वारा उठाए गए हलफनामे को दाखिल करने के लिए देश भर में विशाखा दिशानिर्देश के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समिति का गठन

कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम और दिशानिर्देशों के लिए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने १३ अगस्त १९९७ को 'विशाखा बनाम राजस्थान' की याचिका पर जेएनयू के उप कुलपति प्रो. करूणा चानाना की अध्यक्षता में यौन उत्पीड़न कार्य समूह का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरांत जेएनयू कार्यकारी परिषद् द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। यौन उत्पीड़न के विरूद्ध बनी नीतियों की घोषणा जेएनयू में २५ फरवरी १९९९ एक परिपत्र के माध्यम से हुई और १९९९ को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माध्यम से

यौन उत्पीड़न के खिलाफ लिंग संवेदीकरण समिति की स्थापना भी कर दी गयी। इसके नियम और प्रक्रियाएं २८ सितंबर २००१ को जेएनयू कार्यकारी परिषद् द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी गयीं। इसके प्रमुख कार्य थे- लिंग संवेदीकरण और अभिविन्यास, संकट प्रबंधन, मध्यस्थता, औपचारिक जॉच और निवारण। यही जेएनयू मॉडल देश के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक मानक बना जिसे कइयों ने यथाशीघ्र लागू भी कर दिया।

डॉ. सीमा सिंह
सहायक प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
एनसीडब्ल्यूईबी, मैत्रेयी महाविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय।